मुज़फ्फरनगर विकास प्राधिकरण, मुज़फ्फरनगर

पत्रांक 175/2017 /चार(भ0नियन्त्रण) 20 दिनांक : 08.1.18

मै0 वसुन्धरा इन्फ्राबिल्ड प्रा० लि०
द्वारा श्री अमित कुमार डा०श्री किरनपाल सिंह
वसुन्धरा रेजीडेंसी फेस-4 (एक्स०) मु०नगर
ग्राम- सूजडू खसरा सं०- 2147(pt), 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2154

आपके पत्र दिनांक 05.6.2017 मानचित्र सं0 175/2017 के सन्दर्भ में आपके प्रस्तावित तलपट मानचित्र भवन निर्माण की मौहल्ला/कॉलोनी/ग्राम सूजडू, वसुन्धरा-4 भूखण्ड/भवन सं0 ________ पर निम्नलिखित शर्तो के साथ अनुमति प्रदान की जाती है। स्वीकृत मानचित्र संलग्न है।

1. यह मानचित्र अनुमति दिनांक से केवल पांच वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय निकाय अथवा किसी व्यक्ति के स्वत्व एवं स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही होगा।
3. जिस प्रयोजन के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा। विपरीत प्रयोग उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26 के अधीन दण्डीनय है।
4. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य में उपयुक्त नही होगा वहां प्राधिकरण अथवा किसी स्थानीय निकाय को विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नही होगी।
6. स्वीकृत मानचित्र का सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि मौके पर कभी भी जांच की जा सकें तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुसार कराया जायेगा।
7. आप भवन उप नियमों के नियम 21 के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र पर कार्य आरम्भ करने की सूचना देंगे।
8. निर्माण की अवधि में यदि स्वीकृत मानचित्र के विरूद्ध यदि कोई परिवर्तन आवश्यक है तो उसकी पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद ही परिवर्तन किया जायेगा।
9. निर्माण कार्य हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर भवन उप–नियमों प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण/पत्र प्राप्त करेंगे।
10. प्राधिकरण के अध्यासन (औकूपेन्सी) प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन को अध्यासित (ओकूयपायी) करेंगे। 125 पेड़ प्रति हेक्टेयर लगाने होंगे।
11. स्थल पर .... वृक्ष अवश्य लगाये व अन्य शर्ते मानचित्र पर अंकित कर दी गयी है।

इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 26 के अधीन दण्डनीय अपराध होगा।

संलग्नक :– स्वीकृति मानचित्र की प्रति।

प्रतिलिपि :– अवर अभियन्ता श्री ओम सिंह तोमर को प्रेषित।

प्रभारी अधिकारी/सचिव/उपाध्यक्ष
मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण
मुजफ्फरनगर